Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1. अपील/टीए/6983/2002/सवाईमाधोपुर

शिवदयाल वर्मा (तहसीलदार)बौली जिला सवाई माधोपुर

अपीलार्थी

बनाम

1 मेवाराम पुत्र सरवन जाति कोली
2 गेन्दया पुत्र सरवन
3 भूरया पुत्र गेंदया
4 रामनारायण पुत्र गेंदया
5 हनुमान पुत्र भूरया जाति कोली सभी निवासीगण बडागांव सरवर तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर

प्रत्यर्थीगण

2. अपील/टीए/6984/2002/सवाईमाधोपुर

बलदेवसिंह हाडा तहसीलदार, बौंली तत्कालीन हाल तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

अपीलार्थी

बनाम

1 मेवाराम पुत्र सरवन जाति कोली
2 गेन्दया पुत्र सरवन
3 भूरया पुत्र गेंदया
4 रामनारायण पुत्र गेंदया
5 हनुमान पुत्र भूरया जाति कोली सभी निवासीगण बडागांव सरवर तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

1. अपील/टीए/6983/2002/सवाई माधोपुर
2. अपील/टीए/6984/2002/सवाई माधोपुर

उपस्थितः श्री जगदीश प्रसाद माथुर वकील अपीलार्थी
श्री वी.पी.सिंह वकील प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः.28.2.18

उक्त दोनों अपीले धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या क्रमशः 15/0241/02 में पारित निर्णय दिनांक 20.9.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

दोनों प्रकरणों में पक्षकार, विवाद की विषयवस्तु एवं तथ्य एक समान होने से दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की प्रार्थना स्वीकार कर एक साथ बहस सुनी जाकर एक ही निर्णय से निर्णीत की जा रही हैं। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 मेवाराम ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2ए सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 31 बीघा 14 बिस्व में से 1/2 हिस्सा तरफ पश्चिम पर तहसीलदार, बौंली को रिसीवर नियुक्त किया गया। रिसीवर द्वारा विवादित भूमि का कब्जा समय पर नहीं लिया गया एवं नीलामी की कार्यवाही समय पर नहीं की कर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। अतः रिसीवर को दण्डित किया जावे। वर्तमान अपीलार्थी तहसीलदार, बौंली ने जबाब प्रस्तुत कर इसका खण्डन किया। राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने निर्णय दिनांक 20.9.2002 से अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्तमान अपीलार्थी शिवदयाल वर्मा को 5000रूपये तथा बलदेवसिंह हाडा को 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इससे व्यथित होकर उक्त दोनों अपीले इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि का कब्जा बहक रिसीवर दिनांक 27.9.2000 को लिया गया एवं दिनांक 24.5.2001 नीलामी इश्तहार जारी कर दिया गया। जिसे मेवाराम ने भी स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने नम्बर, दिसम्बर 2001 में नीलामी की कार्यवाही करना मानकर आलौच्य निर्णय दिया है जो निरस्त योग्य है। नीलामी में बोली की राशि कम होने, बोली हेतु पक्षकारों द्वारा भाग नहीं लेने एवं पुन' नीलामी का बारबार निवेदन के कारण जून, जुलाई, 2001 में नीलामी की कार्यवाही सम्पूर्ण नहीं हो

सकी। दिनांक 22.9.01 को कल्याण पुत्र बद्री ने बोली लगाई जिसमें राशि कम होने पर पुनः दिनांक 26.9.01 को नीलामी हेतु नियत की गई एवं इस दिन उच्चतम बोली प्रभूसिंह की 3000रूपये होने पर बोली छोडी गई। प्रकरण के पक्षकार रामनारायण पुत्र गेन्दया द्वारा जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर को प्रार्थना पत्र पेश कर देने से नीलामीकर्ता को कब्जा नहीं दिया जा सका। जिला कलक्टर के निर्देश एवं सभी पक्षकारों की सहमति से पुनः नीलामी कार्यवाही की किन्तु दिनांक 20.11.01 एवं 11.2.01 को बोली नहीं लगने के नीलामी कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी। अपीलार्थी द्वारा विधिक रूप से न्यायालय के आदेश एवं उच्च अधिकारियेां के आदेशो की पालना कर कार्यवाही की गई है। विवादित भूमि पर गेन्दया ने नाजायज कब्जा किया तब उसके विरूद्ध पुलिस थाना बौंली में एफ.आई.आर. रिपोर्ट दर्ज कराई। अन्त में विद्वान अभिभाषक ने बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं की गई एवं अपीलार्थी अब सेवा निवृत हो चुके हैं जिससे एक लोक सेवक को अर्थ दण्डित नहीं किया जा सकता। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि पर तहसीलदार, बौंली को दिनांक 5.9.2000 को रिसीवर नियुक्त किया गया। रिसीवर द्वारा विवादित भूमि को कब्जे में समय पर नहीं लेकर विपक्षी को लाभ पहुंचाया है एवं न्यायालय के आदेश की अवमानना की है। रिसीवर द्वारा कब्जे ली गई भूमि की नीलामी जून, जुलाई, 2001 में सम्पूर्ण कर ली जानी चाहिये थी परन्तु ऐसा नहीं कर नवम्बर, दिसम्बर, 2001 में की गई है जो स्पष्ट रूप से न्यायालय के आदेश की अवमानना है। अपीलार्थी द्वारा अपने तर्को के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही दस्तावेज आदि प्रस्तुत किये गये हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने सभी तथ्यों एवं साक्ष्यो को पूर्ण विवेचन कर आलौच्य निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है जिससे यह अपील खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने आदेश दिनांक 5.9.2000 से विवादित भूमि पर तहसीलदार, बौंली को रिसीवर नियुक्त किया गया है। रिसीवर द्वारा विवादित भूमि को समय पर नीलामी के द्वारा काश्त पर नहीं दिये जाने से प्रत्यर्थी मेवाराम का अवमानना का प्रार्थना पत्र आलौच्य निर्णय दिनांक 20.9.2002 से स्वीकार कर अपीलार्थीगण पर अर्थ दण्ड आरोपित किया है।

अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में एवं अपील मिमों एवं जबाब अवमानना प्रार्थना पत्र पर विवादित भूमि का रिसीवर के रूप में कब्जा दिनांक 27.9.2000 को लिया गया एवं दिनांक 24.5.01 को नीलामी इस्तहार निकाला जाना एवं नीलामी की कार्यवाही करना तथा नीलामी में बोली राशि कम होने एवं पक्षकारों द्वारा भाग नहीं लेने व बोली हेतु उपस्थित नहीं होने से बोली की तिथि बदलती रही। चूंकि अपीलार्थी एक लोक सेवक है जिसके द्वारा विवादित भूमि का कब्जा रिसीवर के बतौर लिया एवं नीलामी कार्यवाही की गई है। लोक सेवक होने के कारण तहसीलदार के पास अन्य कार्य भी होने से तथा समय पर बोली दाता के उपस्थित नहीं होने से विवादित भूमि की नीलामी समय पर नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की उदासीनता एवं लापरवाही होना नहीं माना जा सकता। लोक सेवक से कतिपय मामलों में कार्य प्राथमिकता का सही निर्धारण नहीं हो पाने से भी भूल व भ्रांति हो जाती है। वर्तमान में यह भी स्पष्ट है अपीलार्थी सेवानिवृत भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी पर आरोपित शास्ति एवं सजा निरस्त की जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं राजसव अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 20.2.2001 निरस्त किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोड़ूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष